



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 19 जुलाई, 2007 ई0

आषाढ़ 28, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1114/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007

देहरादून, 19 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण विधेयक, 2007 पर दिनांक 17 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06, सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007

(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 06, वर्ष 2007)

उत्तराखण्ड में गाय एवं गाय के वंश संरक्षण के लिए

अधिनियम

भारतीय गणतन्त्र के 58वें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता

है:-

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ तथा प्रसार
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- (3) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

परिभाषाये

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) "गौमांस" से गो वंश का मांस अभिप्रेत है;
- (ख) "गो वंश" में गाय, बैल, सांड, बछिया अथवा बछड़ा अभिप्रेत है;
- (ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन विहित नियम अभिप्रेत है;
- (घ) "वध" से किसी ढंग द्वारा, चाहे जो भी हो, मारना अभिप्रेत है और इसमें ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना व अपंग करना अथवा विष देना सम्मिलित है, जो सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करेगा;
- (ङ) "सक्षम अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाय;
- (च) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (छ) "अलामकार गाय" से भटकती हुई दुर्बल, अक्षम, रुग्ण अथवा वन्ध्या गाय अभिप्रेत है;
- (ज) "स्वतन्त्र/आवारा विचरण" से शहरी क्षेत्र में विचरण अभिप्रेत है;
- (झ) "शहरी क्षेत्र" से नगर निगम/नगर पालिका के क्षेत्र अभिप्रेत है।

गौ वध का प्रतिषेध

3. तत्समय किसी विधि में कोई बात, प्रतिकूल रुढ़ि अथवा प्रथा के होते हुए भी—

(1) कोई व्यक्ति,

(क) गाय का, या

(ख) गो वंश का न तो वध करेगा और न ही वध करायेगा, ना ही ऐसा प्रस्ताव करेगा, ना ऐसा प्रस्ताव करायेगा।

रोगी अथवा आहत गो वंश के सम्बन्ध में धारा 3 का लागू न होना

4. (1) धारा 3 की कोई ऐसी बात किसी ऐसे गो वंश पर लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार विज्ञापित—

(क) किसी असाध्य एवं पीड़ाजनक परिस्थिति में हो, अथवा

(ख) ऐसे सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग से ग्रस्त हो, जिसके संक्रमण से पशुधन के साथ-साथ मानव के लिए खतरा उत्पन्न हो गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त उपधारा (क) तथा (ख) के सम्बन्ध में असाध्य एवं पीड़ाजनक स्थिति अथवा सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग के सम्बन्ध में स्थानीय प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाना होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निस्तारित पशु के शव का निस्तारण इस प्रकार किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय।

गौमांस कब्जे में रखने एवं बेचने का प्रतिषेध

5. किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति किसी भी रूप में गोमांस अथवा तदसम्बन्धी पदार्थ को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से न तो कब्जे में रखेगा, न ही बेचेगा, न परिवहन करेगा, न बेचने अथवा परिवहन के लिए प्रस्तावित करेगा और न बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा।

गो वंश के परिवहन का विनियमन

6. (1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर, किसी स्थान को, सिवाय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र और उसमें उपबन्धित निबन्धन और शर्तों के अनुसार गो वंश का वध जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है, का न तो परिवहन, न परिवहन करने के लिए प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन सक्षम अधिकारी उपधारा (3) के प्राविधान का अनुपालन के सम्बन्ध में सन्तुष्ट होने पर प्रत्येक गो वंश के लिए 500 रुपये शुल्क का संदाय करने पर अनुज्ञा-पत्र जारी करेगा।
 - (3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा केवल गो वंश के पालन, संरक्षण अथवा संबर्द्धन के लिए प्रदान की जा सकेगी।
 - (4) अनुज्ञा और उसके लिए आवेदन-पत्र का प्ररूप तथा आवेदन-पत्र के लिए निस्तारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।
 - (5) राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सक्षम अधिकारी इस धारा के अधीन की गई कार्यवाही की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए प्रयोजनार्थ किसी समय किसी मामले के अभिलेख को परीक्षण हेतु मांग सकता है और उस पर ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझें।
7. कोई व्यक्ति—
- (क) गो वंश को आवारा नहीं छोड़ेगा,
- (ख) गाय को दुहने के पश्चात् स्वतन्त्र विचरण नहीं करने देगा।
8. शहरी क्षेत्र में गो वंश के पालन के लिए सम्बन्धित नगर के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशाली अधिकारी से गो वंश के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना बाध्यकारी होगा तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहचान अथवा इससे बेहतर किसी तकनीक से, जैसी राज्य सरकार नियत करे, प्रत्येक गो वंश की व्यक्तिगत पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।
9. राज्य सरकार और कोई गैर सरकारी संस्था अलाभकार गायों की देखरेख के लिए आवश्यकतानुसार संस्थायें स्थापित कर सकेगी:
- परन्तु यह कि गैर सरकारी संगठनों को संस्थायें स्थापित करने से पूर्व सूचना विहित प्ररूप पर जिले के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को देनी होगी।
10. राज्य सरकार या गैर सरकारी संस्था, संस्थाओं में अलाभकार गायों को रखने के निमित्त ऐसा अधिभार अथवा शुल्क उद्ग्रहीत कर सकती है, जैसा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से संस्था द्वारा नियत किया जाय।
11. (1) जो कोई धारा 3 अथवा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने को दुष्प्रेरित करता है, तो वह कठोर कारावास, जो न्यूनतम तीन वर्ष एवं अधिकतम दस वर्ष तक का हो सकेगा एवं जुर्माना, जो न्यूनतम पाँच हजार रुपये एवं अधिकतम दस हजार रुपये तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।
- (2) जो कोई धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह किसी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकेगा एवं जुर्माना, जो न्यूनतम दो हजार रुपये एवं अधिकतम दो हजार पाँच सौ रुपये प्रति गो वंश तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।
- (3) जो कोई धारा 7 एवं 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो वह साधारण कारावास, जो न्यूनतम एक सप्ताह एवं अधिकतम एक माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।
12. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 11 की उपधारा (1) व (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे।

स्वतन्त्र विचरण का प्रतिषेध

शहरी क्षेत्र में गो वंश का पंजीकरण

संस्थाओं की स्थापना

अधिभार अथवा शुल्क का उद्ग्रहण

शास्ति

अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा

नियम बनाने की शक्ति 13. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टता और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा—

(क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन पशु के शव के निस्तारण की रीति,

(ख) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा-पत्र का प्रारूप तथा आवेदन-पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया,

(ग) धारा 8 के अधीन सक्षम अधिकारी के कृत्य और शक्तियां तथा उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(घ) धारा 9 में अभिदिष्ट संस्थाओं के अधिष्ठान, रख-रखाव, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण से सम्बद्ध विषय, और

(ङ) अन्य कोई विषय जो विहित किये जायें।

निरसन और व्यावृत्ति 14. (1) उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1956) (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन वाद अथवा कार्यवाही जो लम्बित एवं जारी है, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद भी जारी रहेगी और निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार निस्तारित की जायेगी जैसे कि यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 06 of 2007)

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on July 17, 2007:

No. 1114/XXXVI(4)/2007
Dated Dehradun, July 19, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND PROTECTION OF COW PROGENY ACT, 2007

(UTTARAKHAND ACT NO. 06 OF 2007)

AN
ACT

to protection of cow and its progeny in Uttarakhand.

It is hereby enacted in the 58th year of the Republic of India as follows:--

Short Title, Commencement and Extent 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007.

- (2) It shall come into force at once.
- (3) It shall extend to the whole of State of Uttarakhand.
2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context--
 - (a) "Beef" means flesh of cow progeny;
 - (b) "Cow Progeny" means a cow, bull, bullock, heifer or calf;
 - (c) "Prescribed" means rules prescribed under this Act;
 - (d) "Slaughter" means killing by any method, whatsoever, including causing such physical blow and incapacitating or poisoning, which would normally cause death;
 - (e) "Competent Authority" means such person, appointed in this behalf by the State Government to exercise the powers and perform the functions under this Act and rules made thereunder;
 - (f) "State Government" means the State Government of Uttarakhand;
 - (g) "Uneconomic Cow" means and includes stray, infirm, disabled, diseased or barren cow;
 - (h) "Free/Vagrant wandering" means wandering in urban area; and
 - (i) "Urban area" means area under Nagar Nigam/Nagar Palika Parishad.
3. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, convention or custom to the contrary, no person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter--
 - (a) a cow, or
 - (b) a cow progeny.

Prohibition of Cow slaughter
4. (1) Nothing in section 3 shall apply to cow progeny, suffering from such conditions, notified as such by the State Government which are--
 - (a) incurable and accompanied by intolerable pain, or
 - (B) contagious/infectious disease and have become cause of danger to livestock as well as to human being;

Section 3 not to apply to diseased or injured cow progeny

Provided that in regard to clause (a) and (b), above, a certificate shall be given by the local Veterinary Officer incharge to the effect that the animal is indeed suffering from such an incurable and extremely painful or contagious/infectious disease.

 - (2) The method of disposal of carcass of an animal, covered by sub-section (1), shall be in such manner as may be prescribed by the State Government.
5. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall keep in possession or cause to keep in possession or sell or transport or offer for sale or transport or cause to be sold or transported, beef or beef products in any form.

Prohibition on sale or keeping in possession of beef
6. (1) No person shall transport or offer for transport or cause to be transported any such cow progeny, the slaughter whereof is punishable under this Act, from any place within the State to any place outside the State except under a permit, issued by an officer authorized and notified by the State Government in this behalf and in accordance with the terms and conditions of such permit.

Regulation of transport of Cow progeny

 - (2) Competent Authority shall issue the permit on payment of a fee of rupees 500 for every cow progeny under sub-section (1) after satisfying himself of the compliance of the provision of sub-section (3).

- (3) Permission may be granted only for rearing, protection and promotion of cow progeny under sub-section (1).
- (4) The form of permit and application thereof and the procedure for disposal of such application shall be such as may be prescribed by the State Government.
- (5) The State Government or any Competent Authority authorized by it, for the purpose of satisfying itself, as to the legality or propriety of the action taken under this section, may call for and examine the record of any case and pass such order thereon as he may deem fit.
- Prohibition of Free wandering 7. (1) No person--
 (a) shall leave vagrant any cow progeny.
 (b) shall free for wandering a cow after milching her.
- Registration of Cow progeny in Urban areas 8. It shall be mandatory to obtain a registration certificate from Mukhya Nagar Adhikari/Executive Officer of such urban area for rearing of every cow progeny in the urban arce and establish identify of such cow progeny by means of radio frequency identification technology or a better technology as prescribed by State Government from time to time.
- Establishment of Institutions 9. The State Government or NGO,s may establish institutions as may be necessary for taking care of uneconomic cow progeny:
 Provided that NGO,s shall give information prior to establishing such institution in the form prescribed to the Chief Veterinary Officer of the District.
- Levy of Charges and Fees 10. The State Government or the NGO may levy such charges or fees as may be prescribed by the State Government or NGO with the prior permission for keeping uneconomic cows in the institution.
- Penalty 11. (1) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention the provisions of section 3 or section 5, shall be guilty of an offence punishable with rigorous imprisonment for a term which may be extended up to 10 years but not less than three years and with fine which may be extended up to 10,000 rupees but not less than 5,000 rupess.
 (2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) of section 6, shall be guilty of an offence under this Act punishable with any type of imprisonment for a term which may extend up to 3 years and with fine of rupees 2,00 per cow fine which may extend up to rupees 2.500 per cow progeny.
 (3) Whoever contravenes or attempts to contravene the provisions of section 7 and 8, shall be guilty of an offence punishable with simple imprisonment for a minimun term of one week which may extend to one month or with fine which may be upto rupees 1,000.
- Offences to be cognizable and non-bailable 12. Notwithstanding anything contained in the Criminal Procedure Code, 1973, the offences under sub-section (1) and (2) of section 11, shall be cognizable and non-bailable.
- Power to make rules 13. (1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.
 (2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), such rules may provide for all or any of the following matters; namely:--
 (a) The method of disposal of the carcass of animal under sub-section (2) of section 4,
 (b) Form of permit and the procedure for disposal of the applications under sub-section (4) of section 6,

- (c) The functions and powers of Competent Authority under section 8 and the procedure to be followed by him/her,
 - (d) The matters relating to the establishment, _____ maintenance, management, supervision and control of institutions, referred to in section 9, and
 - (e) The other matters, which may be prescribed.
14. (1) The U.P. Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 (as adapted and modified in the Uttarakhand) (Act No. 1 of 1956) is hereby repealed in the context of the State of Uttarakhand. Repeal and Savings
- (2) Notwithstanding such repeal, a suit or action which is pending and ongoing under the repealed Act shall continue after the repealed Act as if this Act had not been passed.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary: